56

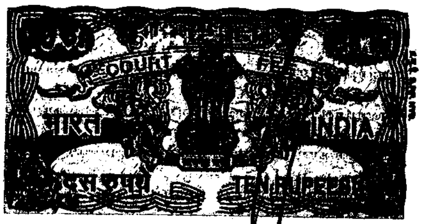

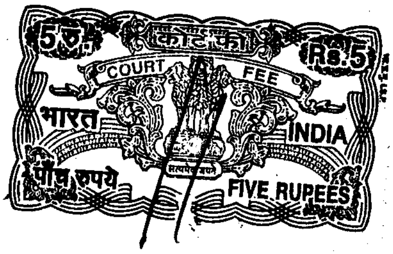

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R-1529-II/14

संतोष कुमार पुत्र मोहर सिंह आयु 32 वर्ष जाति कुर्मी निवासी ग्राम देवखेड़ी तह. अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.........आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म.प्र.

...........अनावेदक

श्री एस.पी. धाकड़ अभि. द्वारा दिनांक 16-5-14 को प्रस्तुत

16-5-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट

16.5.14

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्र.क. 83/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13–01–14 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

<u>निगरानी के तथ्य</u> :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक ग्राम देवखेडी का निवासी होकर कम पढ़ा लिखा है एवं ग्राम देवखेड़ी में खेतिहर मजदूर है जिससे आवेदक के परिवार की गुजर वसर नही होती। आवेदक के मृतक पिता मोहरसिंह का ग्राम देवखेडी की चरनोई भूमि सर्वे नंबर 203/1 रकवा 2.111 है. में से 5 वीघा भूमि पर 40 साल से लगातार कब्जा चला आ रहा था। खेती करके परिवार का पालन पोषण इसी भूमि की कृषि आय से करते आये उनके मरने के बाद आवेदक उक्त रकवे पर काबिज होकर खेती करता आ रहा है ग्राम वासियों की सलाह पर भूमि व्यवस्थापन कराने के उद्‌देश्य से कलेक्टर महोदय को अर्जी दी गई। कि आवेदक के कब्जे वाली 5 वीघा भूमि की नोईयत चरनोई से काबिलकास्त कर दी जावे किन्तु कलेक्टर महोदय अशोकनगर ने बिना आवदेक को सुने एकपक्षीय आदेश दिनांक 28.07.2010 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया है उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1529–दो/2014 निगरानी — जिला– अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-5-2017	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 83/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर से आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 156 अ–19/2009–10 में पारित आदेश दिनॉक 28–7–2010 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 83/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–2014 का अवलोकन किया। कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 28–7–2010 से आवेदक की यह मांग अस्वीकार की है कि वह ग्राम देहरदा की भूमि सर्वे क्रमांक 203/1 रकबा 2.111 हैक्टर चरनोई के रकबे में से 5 वीघा रकबे का संहिता की धारा 237 के अंतर्गत मद परिवर्तन कराना चाहता है। 3/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत कलेक्टर अशोकनगर (मूल न्यायालय) व्दारा पारित आदेश के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को एंव द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल में होगी आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–7–2010 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी को अपील में बदलकर कर सुने जाने हेतु आवेदन नहीं दिया है एंव बहस के दौरान भी तदाशय की मांग नहीं रखी है। संहिता की धारा 237 के विरूद्व राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	